भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4141
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

आपराधिक मामलों का बैकलॉग धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता

4141. डॉ. मन्ना लाल रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की सीमा में धर्म का प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रतिष्ठापित है ;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का है ;
(घ) क्या ऐसे दिशानिर्देशों के अभाव में विदेशियों द्वारा इस उपबंध का दुरुपयोग किया गया है और धर्म के प्रचार की आड़ में देश के विभिन्न भागों में धर्मांतरण किया गया है ; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है । भारत का संविधान की 7वीं सूची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के अधीन हैं । धर्मांतरण के मामले 'लोक व्यवस्था' से जुड़े हुए है और इसलिए यह मुख्यतः राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के विषय हैं । धर्मांतरण से संबंधित कोई डाटा केन्द्रीकृत रुप से नहीं रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों ने किसी एक धार्मिक विश्वास से दूसरे धार्मिक विश्वास में बलपूर्वक या छलपूर्वक या कपटपूर्ण साधनों द्वारा धर्मांतरण को प्रतिषिद्ध करने के लिए विशेष विधियों को अधिनियमित किया है ।

****